न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 371/2016/डिक्री

1. खेमराज पिता प्यारचन्द धाकड
   निवासी कल्याणपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
2. संजयकुमार पिता अर्जुन कुमार लक्की
   निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. अरविन्द कुमार पिता राधेश्याम भट्ट
2. कैलाश चन्द्र पिता भंवरलाल भारद्वाज ब्राह्म्ण
   दोनो निवासी बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ

–रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ
दिनांक 06.09.2016 प्रकरण सं. 11/2009

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री सावन श्रीमाली – अभिभाषक रेस्पोडेन्टस

निर्णय दिनांक– 17.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे वादीगण/रेस्पोडेन्टगण ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा बेगूँ मे बेगूँ चित्तौड़गढ़ रोड के पूर्व दिशा मे आराजी नम्बर 2105/690 रकबा 0.0110 है0 एवं आराजी नम्बर 2179/690 रकबा 0.0130 है0 कुल किता 2 रकबा 0.240 है0 किस्म चाही जो आ. चाह नम्बर 688 रकबा 0.1780 है0 से पीवल होना व उक्त आराजी मूल आराजी नम्बर 690 के तरमीम होना बताते हुए उक्त आराजीयात मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 वादीगण का हक व हिस्सा बताते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया व यह भी निवेदन किया कि उक्त आराजीयात शामलाती भूमि होने से पक्षकारान के मध्य रूपान्तरण आदि की कार्यवाही को लेकर विवाद होता रहता है जिससे उक्त आराजीयात का पक्षकारान के मध्य हक व हिस्से के अनुसार बंटवाडा कराया जावे। उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्टस प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया, व जवाबदावे मे यह तथ्य अंकित किये कि विवादित आराजीयात शामलाती अवस्थित होने का तथ्य स्वीकार

है, बकाया तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। विवादित आराजीयात का हिस्सा अभी तक नही हुआ है क्योकि रेस्पोडेन्ट वादीगण एंव अपीलान्ट प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजीयात के मध्य विवाद है व जो विवाद है उसका उल्लेख भी विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट प्रतिवादी ने यह तथ्य अंकित किये कि रेस्पोडेन्ट वादीगण ने विवादित आराजीयात जरिये पंजीकृत बहनामा शकुन्तला देवी पत्नि सुदर्शनसिंह से क्रय की है व पिस्ता देवी पत्नि ज्ञानमल पोरखना से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता ने हक व हिस्सा क्रय किया है। मूल आराजी नम्बर 690 आज तक तरमीम नही होकर यह स्पष्ट नही होता है कि किसका हिस्सा कहा पर अवस्थित है ऐसी स्थिति मे जब तक पक्षकारान के मध्य विवादित आराजीयात मे हक व हिस्सा तय नही हो जाता है तब तक उक्त आराजीयात का बंटवाडा किया जाना न्यायोचित नही है। रेस्पोडेन्ट वादीगण का विवादित कृषि आराजीयात पर आज दिनांक तक कब्जा नही रहा है। रेस्पोडेन्ट वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावे, जवाबदावे एवं विशेष कथन के आधार पर दो तनकीयात कायम की गयी जिसमे तनकी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट वादीगण के जिम्मे नियत की गयी। तनकी संख्या 2 अपीलान्ट प्रतिवादी के जिम्मे की नियत की गयी। अपीलान्ट प्रतिवादी ने अपने जिम्मे की तनकीयात को दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित कराया कि राजस्व जमाबन्दी मे पक्षकारान का हिस्सा तय नही है। ऐसी स्थिति मे रेस्पोडेन्ट वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 3/8 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का 1/8 व अपीलान्ट संख्या 1 व 2 का 1/4, 1/4 हक व हिस्सा मानते हुए प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जो निरस्त योग्य है। इससे असंतुष्ट होकर यह अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है।

2. विवादित आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट वादीगण का खरीद दिनांक से आज दिनांक तक कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के बिना कब्जे के वादपत्र वादी प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09/06/2016 को निरस्त फरमाये जाने की डिक्री प्रदान की जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने बयान किया कि विवादित भूमि को लेकर तनकी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट वादीगण के जिम्मे नियत की गई। तनकी संख्या 2 अपीलान्ट

प्रतिवादी के जिम्मे नियत की गई। अपीलान्ट प्रतिवादी ने अपने जिम्मे की तनकीयात को दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित कराया कि राजस्व जमाबन्दी मे पक्षकारान का हिस्सा तय नही है फिर भी हिस्सा तय करते हुए प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय पारित कर दिया गया जो विधिविरूद्ध है। इसके इस प्रकरण मे कुछ भूमि का विक्रय भी हुआ है जिसको ध्यान मे रखते हुए भी निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे वर्कफुट मे घोषणा नही होती है केवल हक व हिस्से की ही घोषणा होती है। जब अपीलान्ट खरीददारी का विवाद नही बता रहे है तो खातेदारी का विवाद भी नही है। इंतकाल दर्ज हो चुका है तथा शकुन्तला ने जो बेचान किया है उसका भी इंतकाल दर्ज हो गया है। स्वंय डीडब्ल्यु–1 ने भी साक्ष्य ने माना है कि यह भूमि शामलाती है तथा 1/2 – 1/2 हिस्सा का विभाजन हो जाने पर सहमति दी है। तरमीमशुदा नक्शा अभी तक पेश नही हुआ है। मौके पर रेस्पोडेन्टस का कब्जा है तथा बाडा बना हुआ है। जब प्राथमिक डिक्री पर प्रस्ताव प्राप्त होकर आते है तब अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलान्टस खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभिन्न बेचाननामा एवं तद्नुसार उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार निर्णय पारित नही किया गया है। ऐंसी सूरत मे अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, बेगॅू द्वारा प्रकरण संख्या 11/2009 मे पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 06/09/2016 अपास्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण मे पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ